प्रेषक,

सचिव,

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,

प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी– फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूँ, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुरदेहात, औरैया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, बलिया, शामली।

पत्रांकः बे0शि0प0/ 3133-3512 **/2026–27 दिनांक** – 29-5-2026

विषयः– 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–4131/2024 उमेश चन्द्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध याचिका में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, 13.05.2026 एवं 27.05.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–4131/2024 उमेश चन्द्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध याचिका में पारित आदेश दिनांक 13.05.2026 के सम्बन्ध में है।

प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश निम्नवत है–

1. After hearing learned counsel for the parties at length and on perusal of Rule 14(1)(a) of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (unamended), in the facts and circumstances of the case, we are inclined to direct that the State Government shall prepare a list of the appellants and the intervenors, who have applied before this Court till now, in accordance with the merits and the said Rule district-wise and place the same for consideration before this Court on or before the next date.

2. The said list would pertain to the merit on the date of the advertisement dated 15.12.2016. On production of the list, appropriate orders for their joining may be passed. 3) List on 18th March, 2026.

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है–

1. An application seeking modification of the Order dated 29.01.2026 has been filed, inter alia, stating that preparation of the list was confined towards Appellants and Intervenors who approached to this Court on or before 29.01.2026. It has been submitted that certain aggrieved persons have availed the remedy before High Court and their matters are pending for adjudication. It has further been brought to the notice that some of the Writ Petitions were already disposed of in the light of the impugned Order, however, the order may be modified to such extent.

2. Having regard to the submissions, it would be suffice to direct that apropos the previous order the list be prepared commensurate with the available vacancies, strictly on merit, in accordance with the directions including Appellants, Intervenors, the Petitioners whose matters are pending before the High Court as well as the Petitioners whose Writ Petitions have been disposed of pursuant to the impugned Order.

3. With this view and to carry out such directions, the matters stand adjourned to the month of August 2026.

प्रकरण माह अगस्त में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए सुनवाई की तिथि को कृत कार्यवाही से मा0 उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाना है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या–613/2018 एवं अन्य सम्बद्ध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन में दिनांक 30.12.2023 एवं 07.01.2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत एवं पदस्थापन की कार्यवाही की गयी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, 13.05.2026 एवं 27.05.2026 के अनुपालन में निम्नवत निर्देशित किया जाता है–

1– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, 13.05.2026 एवं 27.05.2026 के अनुपालन में After hearing learned counsel for the parties at length and on perusal of Rule 14(1)(a) of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (unamended), in the facts and circumstances of the case, we are inclined to direct that the State Government shall prepare a list of the appellants and the intervenors, who have applied before this Court till now, in accordance with the merits and the said Rule district-wise and place the same for consideration before this Court on or before the next date. के अनुपालन में तैयार की जायेगी।

संदर्भगत नियुक्ति प्रकिया के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0/35686–968/2023–24 दिनांक 24.12.2023 एवं पत्रांक बे0शि0प0/37760–38034/ 2023–24 दिनांक 03.01.2024 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये थे के कम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, 13.05.2026 एवं 27.05.2026 के अनुपालन एवं उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम 14(1)(क) के अनुसार चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यवाही दिनांक 10.06.2026 तक उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, 13.05.2026 एवं 27.05.2026, Notification/Circular dated 26.12.2016,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना एवं तदविषयक निर्गत शासनादेश/विभागीय निर्देश/तत्समय आरक्षण के सुसंगत नियमों का पालन करते हुए पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से जनपदीय चयन समिति के माध्यम से रिक्त पदों के प्रति चयन सूची तैयार करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की शिथिलता के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जनपदीय समिति उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/3133-3513/2026–27 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5– वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
6– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूँ, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुरदेहात, औरैया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, बलिया, शामली।

पत्रांकः बे0शि0प0/35686-968/2023–24 दिनांक – 24-12-2023

विषयः– 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या–613/2018 एवं अन्य सम्बद्ध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0 /34261–317/2023–24 दिनांक 18.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में योजित विशेष अपील संख्या–613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्या व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन में अग्रतर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद स्तर पर समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी जो निम्नवत है, के अनुसार की जायेगी–

क्र0सं0	कार्यवाही	दिनांक
01	माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन में अनन्तिम चयन सूची तैयार करना एवं जनपद के एन0आई0सी0 के पोर्टल पर अपलोड किया जाना	27.12.2023
02	अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही	29.12.2023
03	अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना	30.12.2023

1– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) में गठित जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए तैयार अनन्तिम चयन सूची दिनांक 27.12.2023 को जनपद के एन0आई0सी0 के पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

2– अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्यवाही दिनांक 29.12.2023 को की जायेगी। अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र पूर्व में दिया जा चुका है, को छोड़ते हुए अन्य अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की जायेगी। शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

3– अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय अपने रजिस्ट्रेशन व आवेदन पत्र की प्रति, शुल्क जमा करने का साक्ष्य, समस्त शैक्षणिक/अन्य मूल अभिलेखों, उसकी दो सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर प्रतिभाग करना होगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की दशा में प्रतिभाग नहीं कराया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4– शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जायेगी। काउन्सिलिंग की तिथि को समुचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा साफ सफाई रखी जायेगी। शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की तिथि से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अवश्य सूचित किया जायेगा।

5– शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा पंजिका के जिस कमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा, उस कमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जायेगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा। अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जनपदीय चयन समिति का पूर्ण दायित्व होगा।

6– अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त नियुक्ति हेतु अर्ह पाये गये एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र पूर्व में निर्गत किया गया है, को एक साथ सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों की सूची वरिष्ठता क्रम में निम्न प्रारूप पर परिषद की ई–मेल upbasic12460atr@gmail.com पर दिनांक 29.12.2023 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी–

प्रारूप–1

क्र0सं0	जनपद का नाम	विज्ञापित पद	दिनांक 29.12.2023 को शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच मे नियुक्ति हेतु अर्ह पाये गये/ पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों का विवरण									
			रजिस्ट्रेशन नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	गुणांक	श्रेणी/वर्ग	चयनित श्रेणी/वर्ग	विशेष आरक्षण	पूर्व मे निर्गत नियुक्ति पत्र का दिनाक

प्रारूप–2

क्र0सं0	जनपद का नाम	विज्ञापित पद	दिनांक 29.12.2023 को शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विवरण							
			रजिस्ट्रेशन नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	गुणांक	श्रेणी/वर्ग	विशेष आरक्षण

प्रारूप–3

क्र0सं0	जनपद का नाम	विज्ञापित पद	श्रेणी/वर्ग	पदो की संख्या	पूर्व में नियुक्त एवं दिनांक 29.12.2023 को शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या को जोड़ते हुए भरे गये कुल पदो की संख्या	गुणांक/जन्मतिथि	रिक्त पद
			अनारक्षित				
			अन्य पिछड़ा वर्ग				
			अनुसूचित जाति				
			अनुसूचित जन जाति				
			विशेष आरक्षण–				
			दिव्यांग 1–चलन क्रिया 2–श्रवणबाधित, 3–दृष्टिबाधित				
			भूतपूर्व सैनिक				
			स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित				

7– अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय इस आशय का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) दिया जायेगा कि उनके द्वारा जनपद में शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्यवाही में प्रतिभाग किया जा रहा है।

8–अनन्तिम सचन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जॉच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अर्ह पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 07 दिवस के अन्दर प्राप्त कर लिया जाये।

9– दिनांक 29.12.2023 को शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्यवाही प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023, Notification/Circular dated 26.12.2016, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना एवं तदविषयक निर्गत शासनादेश/विभागीय निर्देश/तत्समआरक्षण के सुसंगत नियमों का पालन करते हुए पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से जनपदीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की शिथिलता के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जनपदीय समिति उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/ 35686-968/2023–24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश।
6– वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7– श्री राजेन्द्र सिंह, उप सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद का अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुरदेहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया, शामली।

पत्रांक: बे0शि0प0/ 37760-38034 /2023-24 दिनांक - 3-1-2024

विषयः- 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या-613/2018 एवं अन्य सम्बद्ध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0 /34261-317/2023-24 दिनांक 18.12.2023 पत्रांक बे0शि0प0/35686-968/2023-24 दिनांक 24.12.2023 एवं पत्रांक बे0शि0प0/35991-36272/ 2023-24 दिनांक 26.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में योजित विशेष अपील संख्या-613/2018 तथा अन्य सम्बद्ध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन में निर्गत अनन्तिम चयन सूची में अर्ह अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 30.12.2023 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है।

1. दिनांक 05.01.2024 को जनपद स्तर पर आयोजित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जाँच, अनन्तिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में समय सारिणी एवं दिशा निर्देश निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्यवाही	दिनांक
01	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही जनवद स्तर पर	दिनांक 05.01.2024
02	दिनांक 05.01.2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जॉच में उपस्थित अभ्यार्थी की अर्हता के आधार पर अनन्तिम चयन सूची को जनपद के एन0आई0सी0 के पार्टल पर अपलोड किया जाना।	दिनांक 06.01.2024 की अपरान्ह तक
03	अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना	दिनांक 07.01.2024

2. जनपद में दिनांक 05.01.2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण में समस्त एवं एक से अधिक जनपद में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी स्वेच्छा से किसी एक ही जनपद में प्रतिभाग कर सकते हैं। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये गये अभ्ययर्थियों के आधार पर अनन्तिम चयन सूची रिक्त पदों के सापेक्ष विशेष आरक्षण पूर्ण करते हुए तैयार की जायेगी।
3. अभ्यर्थी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय रजिस्ट्रेशन व आवेदन पत्र की प्रति, शुल्क जमा करने का साक्ष्य, समस्त मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों, उसकी दो सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर प्रतिभाग करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की दशा मे प्रतिभाग नहीं कराया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के समय इस आशय का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) दिया जायेगा कि उनके द्वारा केवल इसी जनपद में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्यवाही में प्रतिभाग किया जा रहा है।
5. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जायगी। काउन्सिलिंग की तिथि को समुचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी तथा साफ सफाई रखी जायेगी। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की तिथि से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अवश्य सूचित किया जायेगा।
6. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा पंजिका के जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा, उस क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जायगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा। अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जनपदीय चयन समिति का पूर्ण दायित्व होगा।
7. अनन्तिम सचन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखो की जाँच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अर्ह पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 07 दिवस के अन्दर प्राप्त कर लिया जाये।

8 शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों के परीक्षण में ऐसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में भिन्नता पाये जाने की स्थिति में विचार नही किया जायेगा।

9. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के परिपत्र दिनांक 26.12.2016 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

10 दिनांक 05.01.2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच की कार्यवाही में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2023, Notification/Circular dated 26.12.2016, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना एवं तदविषयक निर्गत शासनादेश/विभागीय निर्देश/तत्समआरक्षण के सुसगत नियमों का पालन करते हुए पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से जनपदीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की शिथिलता के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव, जनपदीय समिति उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त के सम्बन्ध मे अग्रतर आवश्यक करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

पृ0सं0/बे0शि0प0/37760-38034/2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त एव लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7- श्री राजेन्द्र सिंह, उप सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को इस निर्देश से प्रेषित कि जनपद का अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।